

M-Urgent

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प्रशि./जीएनएम/जी-88 (पार्ट-1)/2018/

दिनांक :


निदेशक,  
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,  
सचिवालय, जयपुर (राज0)

विषय : जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस निदेशालय की विज्ञप्ति क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी-88 (पार्ट-1)/2018/1060 दिनांक : 27/3/18 की हार्ड कॉपी मय सॉफ्ट कॉपी के साथ संलग्न कर भेजकर अनुरोध है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर के सभी संस्करणों में अतिशिघ्र प्रकाशित करवाने का श्रम करे।  
संलग्न - हार्ड कॉपी मय सॉफ्ट कॉपी।

डीपीआर न.

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,


राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 27/3/18

क्रमांक: प्रशि./जीएनएम/जी-88 (पार्ट-1)/2018/1061

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं -:

1. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के संबंध में एक प्रेस नोट अति0 निदेशक (प्रशिक्षण) की ओर से जारी कराने की व्यवस्था करावें।
7. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
8. सचिव/समन्वयक, राजस्थान प्राईवेट नर्सिंग स्कूल फ़ैडरेशन, ई-277 लालकोठी योजना, जयपुर।
9. सचिव/समन्वयक, प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस सोसायटी ऑफ जयपुर, 17 संगम होटल, मोतीलाल अटल रोड, पोलोविकट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
10. जैनिथ आई.टी. सॉल्यूशन्स प्रा0.लि0, मालवीय नगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि ऑनलाईन विकल्प पत्र प्राप्त कर निजी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश हेतु दिनांक 29/3/18 से 31/3/18 व 2/4/18 को काउंसलिंग सम्पन्न की जानी है।
11. प्रबंध निदेशक, राज कोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, (ई-मित्र), योजना भवन, जयपुर।
12. प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा उद्योग भवन, सी-स्कीम, जयपुर।
13. रक्षित/आदेश पत्रावली

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प्रशि./जीएनएम/जी-88 (पार्ट-1)/2018/1060

दिनांक : 27/3/18

“काउंसलिंग विज्ञप्ति”

**“जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2017-18 की निजी प्रशिक्षण केन्द्रों की प्रथम ऑनलाईन काउंसलिंग”**

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जीएनएम प्रशिक्षण कोर्स सत्र 2017-18 की निजी नर्सिंग स्कूलस जिनकी सूची मय निर्धारित सीटों के विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध है, में प्रवेश हेतु प्रथम ऑनलाईन काउंसलिंग जो दिनांक 02.04.2018 से 03.04.2018 तक निर्धारित है। विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए होने वाली ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु विभागीय वैबसाईट [www.rajswasthya.nic.in](http://www.rajswasthya.nic.in) पर उपलब्ध निजी प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु रूपये 10,000/- अग्रिम फीस पेटे ई मित्र/सीएससी नेटवर्क एवं वैबसाईट पर उपलब्ध बैंक ऑफ बडौदा के चालान के माध्यम से जमा कराना अनिवार्य है। उक्त शुल्क पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से भी जमा कराया जा सकता है।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश हेतु पूर्व में रु. 180/- जमा करवाकर अपना विकल्प पत्र भरा है, किन्तु राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों की प्रथम काउंसलिंग के दौरान उनका चयन नहीं हुआ है। ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो निजी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण के इच्छुक हो तो वे भी उपरोक्तानुसार रु. 10,000/- फीस पेटे अग्रिम राशि जमा करा सकते हैं। राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों की द्वितीय काउंसलिंग में चयनित होने पर ऐसे चयनित अभ्यर्थियों द्वारा जमा करायी गयी राशि रु. 10,000/- नियमानुसार वापस देय होगी।

दिनांक 29.03.2018 से 31.03.2018 तक योग्य अभ्यर्थी अपना विकल्प पत्र विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध निजी प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची अनुसार अधिक से अधिक प्रशिक्षण केन्द्रों को वरियता देकर भरे। प्रशिक्षण केन्द्रों का आवंटन 02.04.2018 एवं 03.04.2018 को राज्य स्तरीय मेरिट व अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्र पर सीट रिक्त होने की स्थिति में किया जावेगा। अभ्यर्थियों का वर्गवार कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है :-

|                | Gen | OBC | SBC | SC  | SC-TSP | ST  | ST-TSP | Saharia | In Service | PH  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|--------|---------|------------|-----|
| Female (PCB)   | 40% | 40% | 40% | 35% | 35%    | 35% | 35%    | 35%     | 35%        | 35% |
| Male (PCB)     | 40% | 40% | 40% | 35% | 35%    | 35% | 35%    | 35%     | 35%        | 35% |
| Female (Other) | 40% | 40% | 40% | 35% | 35%    | 35% | 35%    | 35%     | 35%        | 35% |
| Male (Other)   | 40% | 40% | 40% | 35% | 35%    | 35% | 35%    | 35%     | 35%        | 35% |

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने निजी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु पूर्व में दिनांक 01.01.2018 से 13.01.2018 के दौरान वांछित ऑनलाईन विकल्प पत्र प्रस्तुत कर दिये हैं वे भी विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध निजी प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची अनुसार उल्लेखित प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु विकल्प प्रस्तुत करना चाहे तो पुनः अपना संशोधित विकल्प पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

नोट :

1. अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार ही केन्द्र आवंटन किया जावेगा। केन्द्र आवंटन के पश्चात् प्रशिक्षण केन्द्र स्थानान्तरण नहीं होगा एवं एक प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी फीस पेटे जमा अग्रिम राशि 10,000 वापस देय नहीं होगी। उक्त राशि राजकोष में जब्त कर ली जावेगी।



(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0, जयपुर